फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

3 कृष्णा पासवान पिता स्व0 तेजू दुसाध, निवास स्थान ग्राम-पतराखुर्द, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-पतराखुर्द, थाना नं0-34, खाता संख्या-126, प्लॉट संख्या-1547 एवं 1548, रकवा क्रमशः 0.01575 एकड़ एवं 0.0825 एकड़ कुल रकवा 0.25 एकड़ (25 डिसमिल) (पच्चीस डिसमिल) भूमि अरविन्द कुमार दास पिता जुठन राम, निवास स्थान ग्राम-गर्रीकला, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22016664 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-243/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1176/रा0 दिनांक 11.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, केरेडारी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, केरेडारी के पत्रांक 131 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा मौजा-पतराखुर्द, थाना संख्या-34, खाता संख्या-126, प्लॉट संख्या-1547 एवं 1548 रकवा क्रमशः 0.1575 एकड़ एवं 0.0825 एकड़ कुल रकवा 0.24 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खाता संख्या-126 प्लॉट संख्या 1547 रकवा 1.94 एकड़, प्लॉट संख्या-1548 रकवा 0.066 एकड़ दोनों प्लाट का किस्म जमीन रैयती धान खेत है। खतियानी रैयत रुदवा दुसाध वल्द अजहक्ष दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.19 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-11/II में रकवा 5.19 एकड़ की जमाबंदी दहनी देवी के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2006-07 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत एवं आवेदक के बीच पिता-पुत्र का संबंध है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 1.73 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 1.49 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। BLR Act, Section-4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, केरेडारी के अनुशंसा के आलोक में कृष्णा पासवान पिता स्व0 तेजू दुसाध, निवास स्थान ग्राम-पतराखुर्द, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-पतराखुर्द, थाना नं0-34, खाता संख्या-126, प्लॉट संख्या-1547 एवं 1548, रकवा क्रमशः 0.01575 एकड़ एवं 0.0825 एकड़ कुल रकवा 0.24 एकड़ (24 डिसमिल) (चौबीस डिसमिल) भूमि अरविन्द कुमार दास पिता जुद्दन राम, निवास स्थान ग्राम-गरीकला, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। /05/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.05.27 16:49:25 +05:30
Location: 192.168.0.115